

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला दमोह म.प्र.

Email-cmhodam@nic.in

क्र./कय/2021/11174
प्रति,

दमोह दिनांक 10.05.21

कलेक्टर महोदय,
जिला दमोह म.प्र.

विषय:- कोविड-19 में उपयोगी औषधियों हेतु दमोह जिले की अधिकारिक बेबसाईट में विज्ञापित अपलोड करने बाबत।

---00---

विषयांतर्गत कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दमोह के अधीन संचालित सामु.स्वा.केन्द्रों/कोविड केयर सेंटर में भर्ती मरीजों/होम आईसोलेशन मरीजों को लगाने वाली औषधियों का उपार्जन सीमित निविदा के माध्यम से किया जाना प्रस्तावित है, जिस हेतु कार्यालय में पूर्व से पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं से सीलबंद निविदायें आमंत्रित किये जाने हेतु संलग्न विज्ञापित का प्रकाशन कराया जाना है।

अतः आपसे अनुरोध है कि आप विज्ञापित का प्रकाशन जिले की अधिकारिक बेबसाईट पर कराने का कष्ट करें।



मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला दमोह म.प्र.

पृ.क्र./कय/2021/11175

दमोह दिनांक 10.05.21

1. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी कलेक्ट्रेट जिला दमोह।
2. जिला जनसंपर्क अधिकारी सूचना एवं प्रकाशन जिला दमोह।



मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला दमोह म.प्र.

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला दमोह म.प्र.

Email-cmhodam@nic.in

क्रमांक/क्रय/2021/11173

दमोह दिनांक 10.05.21

// सीमित निविदा विज्ञप्ति //

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन संचालित सामु.स्वा.केन्द्रों/कोविड केयर सेंटर में भर्ती मरीजों/होम आईसोलेशन मरीजों को लगने वाली औषधियों का उपार्जन सीमित निविदा के माध्यम से किया जाना प्रस्तावित है (औषधियों की सूची संलग्न है)। जिस हेतु कार्यालय में पूर्व से पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं से सीलबंद निविदायें आमंत्रित की जाती है। निविदा की शर्तें निम्नानुसार हैं—

1. सीलबंद निविदायें कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दमोह में दिनांक 17.05.2021 तक कार्यालयीन समय 05.30 बजे तक प्रस्तुत करना होगा, निर्धारित समय के पश्चात प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा।
2. निविदा के साथ राशि 10000/- का एफ.डी.आर. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दमोह के नाम से संलग्न करना अनिवार्य होगा।
3. निविदा दिनांक 18.05.2021 को समय दोपहर 12.00 बजे कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दमोह द्वारा गठित क्रय समिति के समक्ष खोली जावेगी। जिसमें निविदाकर्ता/प्रतिनिधि उपस्थित हो सकते हैं।
4. निविदा स्वीकृति/अस्वीकृति के संबंध में क्रय समिति का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।
5. निविदा किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त की जा सकती है।
6. आपूर्तिकर्ताओं को औषधियों की प्रदायगी के समय गुणवत्ता (एन.ए.बी.एल.) रिपोर्ट जमा करना अनिवार्य होगा अन्यथा औषधियां स्वीकार नहीं की जायेगी। जिसकी समस्त जिम्मेवारी संबंधित आपूर्तिकर्ता फर्म की होगी।
7. कोविड-19 महामारी के कारण आपके द्वारा प्रस्तुत दर अनुसार निविदा स्वीकार होने पर क्रय आदेश में वर्णित समय-सीमा के अंदर प्रदायगी सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला दमोह म.प्र.

सीमित निविदा

कोविड-19 मरीजों हेतु औषधियों की सूची

Sr.No.	Name Of Medicine	Rate/Unit	Remark
1	Tab. Azithromycin 500mg10X10	
2	Inj. Lmwh 0.6 mlEach inj	
3	Inj. Meropenam 1gm	-----Each Vial	
4	Inj. Ceftriaxone 1gm	-----Each Vial	



मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला दमोह म.प्र.